कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2124/11–सी–FP/UP/OFC/153034//2022, लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 28 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

विषयः– जनपद आगरा में आगरा–जगनेर–तांतपुर मार्ग के किमी0 चैनेज 205.00 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा द्वारा प्रस्तावित भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.4762 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या– FP/UP/OFC/153034//2022

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2729/14–1, दिनांक 20.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में ए एवं बी में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

2– प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है, जबकि भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने जाने से सम्बन्धित भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 की गाईडलाईन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्रस्ताव से पृथक करें एवं ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं विवरण डिलीट कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।

3– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के संशोधित दर की एन0पी0वी0 सम्बन्धी पत्र सं0–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 की गाईडलाईन में विभिन्न शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0 में छूट प्रदान की गयी है। अतः प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव से पृथक करें एवं ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड एन0पी0वी0 की गणना डिलीट कर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।

4– भू–स्वामित्व वाले विभाग के आर0ओ0डब्लू का ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।

5– भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6– प्रभागीय निदेशक द्वारा आर0ओ0डब्लू के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

7– भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने जाने से सम्बन्धित भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 की गाईडलाईन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध छूट प्रदान किये जाने से सम्बन्धित गाईडलाईन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के संशोधित दर की एन0पी0वी0 सम्बन्धी पत्र सं0–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 की गाईडलाईन में एन0पी0वी0 की छूट प्रदान किये जाने से सम्बन्धित गाईडलाईन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–3337/81–2–2022–600(60)/2000, दिनांक 07.12.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1966/11सी, दिनांक 09.12.2022 के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10– प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव संलग्न हैं। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र/वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव सहित इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 01 प्रति तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रति इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसंरक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2124/11–सी– FP/UP/OFC/153034//2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

2– डिवीजनल इंजीनियर, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, टैक्स, भवन, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसंरक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।